न्यायालय अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

वाद संख्या – MAN 30/2003

थानु महतो एवं अन्य–बनाम–अस्तिका देवी

28/12/2022

–: आदेश :–

यह वाद थानु महतो एवं अन्य द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही द्वारा वाद संख्या M 76/2001-02 में दिनांक 17.06.2003 को पारित आदेश के विरूद्ध सर्वप्रथम इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया, जिसमें तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 17.06.2004 को आदेश पारित किया गया। उत्तरवादी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध न्यायालय प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के न्यायालय में रिविजन वाद संख्या 48/2004 दायर किया गया। न्यायालय प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा सुनवाई करते हुए तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा दिनांक 17.06.2004 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रश्नगत् मामले में विस्तृत जॉँच कर पुनः सुनवाई हेतु वाद को रिमाण्ड किया गया।

न्यायालय प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में उभय पक्ष को नोटिस निर्गत् कर अपना–अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। सुनवाई के क्रम में उभय पक्ष को लिखित अभिकथन दाखिल करने हेतु कहा गया। प्रथम पक्ष सुनवाई के क्रम में लगातार अनुपस्थित रहे एवं लिखित अभिकथन दाखिल नहीं किया गया। उत्तरवादी द्वारा वाद में लिखित अभिकथन दाखिल किया गया है।

उक्त मामले की समीक्षा से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत् मामला दोहरी एवं लम्बे समय से कायम जमाबंदी का मामला है। लम्बे समय से कायम जमाबंदी को रद्द करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसकी शक्ति सक्षम व्यवहार न्यायालय में समाहित है। साथ ही यह मामला स्वत्व का भी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तत्पश्चात् वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.01.03 13:40:54 +05:30
Location: 192.168.0.101